आवारा पशुओं की हो रही धरपकड़, मौके पर पहुंचे 9 पशुपालकों से शुल्क लेकर छोड़ा गया, पशु मालिकों को बाहर न छोड़ने दी गई हिदायत

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई , क्षेत्र अंतर्गत सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की धरपकड़ की जा रही है , साथ ही निगम का अमला रोका-छेका संकल्प अभियान के तहत 612 पशु मालिकों से संकल्प पत्र भरा चुके हैं कि वे अपने मवेशी के चारा , पानी सहित समुचित व्यवस्था स्वंय करेंगे और पालतू मवेशियों को घर पर ही रखेंगे। पशुओं के धरपकड़ के दौरान 09 पशुपालक मौके पर पहुंचे जिनसे दाण्डिक शुल्क लेकर पशु को छोड़ा गया और हिदायत दी गई की पशुओं को खुले में न छोड़े। रोका-छेका संकल्प अभियान के तहत पशु मालिकों को अपने मवेशी की सुरक्षा स्वंय करने, चारा, पानी की समुचित व्यवस्था करने , आसपास के खेतों में फसलों तथा उद्यानों में पालतू मवेशियों का प्रवेश रोकने हेतु तथा पशुपालन से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के लिए कंपोस्टिंग हेतु व्यवस्था करने भिलाई निगम क्षेत्र में संकल्प पत्र भराया जा रहा है। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए गठित दल के प्रभारी जोन 02 के एआरओ संजय वर्मा व जोन 04 के एआरओ बालकृष्ण नायडू ने बताया कि सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को निगम का अमला पकड़ने की कार्यवाही कर रहा हैं , 19 जून से की जा रही कार्यवाही में निगम का अमला सड़क पर घुमने वालें 87 पशुओं को अब तक पकड़ चुके हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गौधन को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशु जो यातायात में बाधक बन कर दुर्घटना का कारण बनते हैं जिससे होने वाली दुर्घटना में पशुधन एवं जनधन की हानि होती है। निगम की अपील है कि इससे बचने के लिए पशुपालक अपने पालतू मवेशियों को सड़कों पर आवारा घूमने न दें। जोन कार्यालयों में गठित दल के कर्मचारियों द्वारा 612 पशु मालिकों से संपकल्प पत्र भराया जा चुका है , संकल्प पत्र अभियान में जोन कं. 01 में 136 पशु मालिक, जोन 02 में 170 पशु मालिक, जोन 03 में 95 पशु मालिक, जोन 04 में 188 पशु मालिक, जोन 05 में 23 पशु मालिक से संकल्प पत्र भरवाया जा चुका है।